प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 08 / **2024** (अपील सूचना का अधिकार)

Pratham Singhi, Add. Bedla, Udaipur

...............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 19/02/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329591174250006 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 28.09.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 7501032059 दिनांक 25.01.2024 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/08/24/106–07 दिनांक 25.01.2024 से लिखा गया।

अपीलार्थी अनुपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक सू.अ. 2005/24/443 दिनांक 08.02.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा कार्यालय हाजा में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत बेदला द्वारा रोड़ निर्माण व मरम्मत, ग्राम पंचायत बेदला को विकास हेतु बजट आवंटन एवं उक्त पंचायत में लोगों व सोसायटी के लिए पिछले 5 वर्षों में किये गये कार्यों की सूचना चाही गई थी। उक्त सूचना का संधारण इस कार्यालय में नहीं होने से प्रार्थी को इस बाबत सूचना कार्यालय हाजा के पत्रांक 2688 दिनांक 05.10.2023 से प्रेषित की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 08.09.2023 को आवेदन प्रेषित किया गया। उक्त सूचना

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रत्यर्थी के कार्यालय में संधारण नहीं किये जाने से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिसकी सूचना से अपीलार्थी को निश्चित समयावधि में अवगत करवा दिया गया था।

चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना संधारित होने से सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के संबंध में अवगत करवा दिया गया था ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी बड़गांव एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर